(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 16/2018- केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि.........(अ) - केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 7 की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,

(i) "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात "या संघ राज्य क्षेत्र" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा;
(ii) "पंचायत को" शब्दों के पश्चात "या संविधान के अनुच्छेद 243ब के अंतर्गत नगर निगम को" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फाइल संख्या 354/13/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 14/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के रूप में सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।